अध्याय
06

न्यायपालिका

सीखने के प्रतिफल

इस अध्याय में विद्यार्थी भारतीय न्याय व्यवस्था तथा न्यायपालिका की संरचना को समझ सकेंगे।

परिचय

आमतौर पर न्यायालय को व्यक्तियों या निजी संस्थाओं के आपसी विवादों को सुलझाने वाले पंच के रूप में देखा जाता है, लेकिन न्यायपालिका सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है, जो न्याय की स्थापना के साथ-साथ अनेक राजनीतिक कार्यों को भी अंजाम देती है।

न्यायपालिका की स्वतंत्रता:-न्यायपालिका की प्रमुख भूमिका यह है कि वह कानून के शासन की रक्षा और कानून की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करें। इसके लिए जरूरी है कि न्यायपालिका किसी भी राजनीतिक दबाव से स्वतंत्र हो। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ स्वेच्छाचारी या उत्तरदायित्व का अभाव नहीं है, बल्कि न्यायपालिका देश के संविधान, लोकतांत्रिक परंपरा और जनता के प्रति जवाबदेह होता है। भारतीय संविधान ने अनेक उपायों के द्वारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया है।

न्यायाधीशों की नियुक्ति:-भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। परंपरा के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश को ही इस पद पर नियुक्त किया जाता है, लेकिन इस परंपरा को 1973 ई. तथा 1975 ई. में दो बार तोड़ा भी गया है।

भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायधीश की सलाह से करता है।

न्यायाधीशों का कार्यकाल:-न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित होता है। संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं।

न्यायाधीशों को पद से हटाना:-सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से हटाना काफी कठिन है। कदाचार या अयोग्यता की दशा में ही उन्हें पद से हटाया जा सकता है। इसके लिए संसद के दोनों सदनों में आम सहमति से दो तिहाई बहुमत के द्वारा ही न्यायाधीशों को उनके पद से पदच्युत किया जा सकता है।

वित्तीय स्वतंत्रता:-भारत की न्यायपालिका वित्तीय रूप से विधायिका तथा कार्यपालिका

© JCERT not to be republished

पर निर्भर नहीं है। संविधान के अनुसार न्यायाधीशों को वेतन तथा भत्ते केंद्र एवं राज्यों के संचित निधि से दिया जाता है।

न्यायपालिका की संरचना

भारतीय संविधान एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना करता है। इसकी संरचना पिरामिड की तरह है, जिसमें सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय फिर उच्च न्यायालय तथा सबसे नीचे जिला और अधीनस्थ न्यायालय होता है।

सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार:-भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय को कुछ खास किस्म का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

मौलिक क्षेत्राधिकार:-सर्वोच्च न्यायालय का मौलिक क्षेत्राधिकार उसे संघीय मामलों से संबंधित सभी विवादों में एक अंपायर या निर्णायक की भूमिका देता है। किसी भी संघीय व्यवस्था में केंद्र तथा राज्यों के बीच परस्पर कानूनी विवादों का उठना स्वभाविक है। इन विवादों को हल करने की जिम्मेदारी सर्वोच्च न्यायालय की है।

रिट संबंधी क्षेत्राधिकार:-भारत का नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय में रिट या याचिका दायर कर सकता है। नागरिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय इस संबंध में निम्नलिखित आदेश जारी कर सकता है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण तथा अधिकार पृच्छा लेख ।

अपीलीय क्षेत्राधिकार:-सर्वोच्च न्यायालय अपील का उच्चतम न्यायालय है। कोई भी व्यक्ति उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। लेकिन उच्च न्यायालय को यह प्रमाण पत्र देना पड़ता है कि वह मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने लायक है अर्थात उसमें संविधान या कानून की व्याख्या करने जैसी कोई गंभीर मामला उलझा है। अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब यह है कि सर्वोच्च न्यायालय पूरे मुद्दे पर पुनर्विचार करेगा और उसके कानूनी मुद्दों की दोबारा जांच करेगा।

परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार:-इसके अनुसार भारत का राष्ट्रपति लोकहित या संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी विषय पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। लेकिन न तो सर्वोच्च न्यायालय किसी विषय पर सलाह देने के लिए बाध्य हैं और ना ही राष्ट्रपति न्यायालय की सलाह मानने को।

न्यायालय

- न्यायिक सक्रियता/जनहित याचिका- भारत में न्यायिक सक्रियता का मुख्य साधन जनहित याचिका रही है। 1980 के दशक में जस्टिस पी. एन. भगवती के द्वारा जनहित याचिका की शुरुआत भारत में हुई।जनहित याचिका का अभिप्राय यह है कि पीड़ित व्यक्तियों के बदले अन्य व्यक्ति या संगठन न्याय की मांग कर सकता है। यह व्यवस्था देश की आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए उपलब्ध कराई गई है, जिससे उन्हें न्याय मिल सके। देश की आम समस्याओं जैसे भ्रष्टाचार,गरीबी,पर्यावरण से जुड़े अनेक मुद्दों पर न्यायपालिका से हस्तक्षेप की मांग की गई।

- न्यायपालिका और अधिकार-संविधान ऐसी दो विधियों का वर्णन करता है जिससे सर्वोच्च न्यायालय जन-अधिकारों की रक्षा कर सकें- पहला रिट जारी करने की शक्ति तथा दूसरा न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति । यह दोनों प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक तथा संविधान की व्याख्याकार के रूप में स्थापित करता है।

© JCERT not to be republished

न्यायिक पुनरावलोकन के तहत सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून की संवैधानिकता की जांच कर सकता है और यदि वह संविधान के प्रावधानों के विपरीत हो तो न्यायालय उसे गैर संवैधानिक घोषित कर सकता है।

- न्यायपालिका और संसद- भारतीय संविधान शक्ति के बंटवारे के सिद्धांत पर आधारित है। इसके अनुसार विधायिका कानून बनाती है ,कार्यपालिका उसे लागू करवाती है तथा न्यायपालिका विवादों को सुलझाती है। इस स्पष्ट कार्य विभाजन के बावजूद विधायिका तथा कार्यपालिका के साथ न्यायपालिका का टकराव भारतीय राजनीति की विशेषता रही है।

  1973 ई. में केशवानंद भारती मुकदमे के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संविधान संशोधन द्वारा संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इस निर्णय के बाद विधायिका तथा न्यायपालिका के बीच विवादों की प्रकृति बदल गई।

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

- इसके फैसले सभी अदालतों को मानने होते हैं।
- यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला कर सकता
- यह किसी अदालत का मुकदमा अपने पास मँगवा सकता है।
- यह किसी एक उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमे को दूसरे उच्च न्यायालय में भिजवा सकता है।

उच्च न्यायालय

- निचली अदालतों के फ़ैसले पर की गई अपील की सुनवाई कर सकता है।
- मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिए रिट जारी कर सकता है।
- राज्य के क्षेत्राधिकार में आने वाले मुकदमों का निपटारा कर सकता है।
- अपने अधीनस्थ अदालतों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करता है।

जिला अदालत

- जिले में दायर मुकदमों की सुनवाई करती है।
- निचली अदालतों के फ़ैसले पर की गई
- अपील की सुनवाई करती है।
- गंभीर किस्म के आपराधिक मामलों पर फ़ैसला देती है।

अधीनस्थ अदालत

- फ़ौजदारी और दीवानी
- किस्म के मुकदमों पर विचार करती है।

निष्कर्ष-

लोकतांत्रिक संरचना में न्यायपालिका की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है तथा भारत की न्यायपालिका अपनी स्वतंत्रता के लिए जाना जाता है। न्यायपालिका, विधायिका तथा कार्यपालिका के बीच समय-समय पर उठने वाले विवादों के बावजूद भी न्यायपालिका की साख बढ़ी है।

© JCERT not to be republished

अभ्यास के प्रश्न

* बहुविकल्पीय प्रश्न –

1. विवादों को सुलझाने में न्यायपालिका.....भूमिका निभाती है।

   a. योध्या की

   b. पंच की

   c. शिक्षक की

   d. इनमें से कोई नहीं

2. सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है?

   a. राज्यपाल b. प्रधानमंत्री

   c. राष्ट्रपति d. रक्षा मंत्री

3. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्षों का है?

   a. 65 b. 66

   c. 61 d. 62

4. सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदच्युत कौन कर सकता है?

   a. विधानसभा

   b. संसद

   c. प्रधानमंत्री

   d. इनमें से कोई नहीं

5. भारतीय न्यायपालिका की संरचना में सबसे नीचे होता है–

   a. अधीनस्थ न्यायालय।

   b. सर्वोच्च न्यायालय

   c. उच्च न्यायालय

   d. इनमें से कोई नहीं

* लघु उत्तरीय प्रश्न–

6. जनहित याचिका से आप क्या समझते हैं?

7. रिट जारी करने की शक्ति किसके पास है?

8. मौलिक क्षेत्राधिकार से आप क्या समझते हैं?

* दीर्घ उत्तरीय प्रश्न–

9. सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न क्षेत्राधिकारों का वर्णन करें।

10. भारतीय न्यायपालिका के स्वतंत्र होने के कारणों को लिखें।

© JCERT not to be republished